

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 20 दिनांक 21.09.2016
2.अधिनियम पी.सी एक्ट 49/88 धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन बुधवार दिनांक से दिनांक 21.09.2016
(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 21.09.2016 समय 04.45 पी.एम
(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 09 समय 05.00 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) पश्चिम लगभग 12 कि०मी०

(ख) पता:- बसई चौक।

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)- सैक्टर 10 गुडगांव जिला गुडगांव

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम.: विरेन्द्र कुमार (ख) (पिता/पति का नाम) श्री बलजीत सिंह

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं०


(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) (पता) गांव दौलताबाद जिला गुडगांव।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. शशिभान,PA, DTPO, MCG गुडगांव।
2. विककी डिलिंग हैंड।
3. औम J.E.

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक सत्यप्रकाश राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव बदस्त HC दीपक न० 1011/रेवाडी बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई, जिसका मजबून जैल है, " सेवा मे डी०एस०पी० राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव निवेदन है कि मैं विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बलजीत सिंह गांव दौलताबाद का हूँ और मेरा



दौलताबाद रोड पर हार्डवेयर का काम है। मैंने एक प्लॉट राजेन्द्रा पार्क आनन्द गार्डन पुलिस थाने के पास 180 गज का प्लॉट लिया है। जिस पर मेरा मकान का काम कर रहा हूँ। दिनांक 03.08.2016 को बी0डी0पी0ओ0 कार्यालय से एक नोटिस आया था जिस पर मैं 10.08.16 को D.T.P.O. कार्यालय में पेश हुआ जहाँ पर मेरी मुलाकात शशिभान (PA) D.T.P.O. से हुई नोटिस पर कार्यवाही न करने के लिए मुझसे 40,000/- रुपये नकद लिये थे। लेकिन अब दौबारा से एक नोटिस मिमो न0 MCG/ENF/AE-1/2016/868 दिनांक 08.09.2016 को मेरे को फिर प्राप्त हुआ। नोटिस के बारे में दौबारा बातचीत करने के लिए शशिभान से मिला और बातचीत की। जिस पर शशिभान ने कहा कि जो पैसे आपने मुझे दिये थे वो पैसे तो SDO अमित ले गया और उसकी बदली हो गई है। उसकी जगह अब V.K. डिलिंग हैण्ड है। ओम जे0ई0 आ गया है। अब ये दोनों आपकी फाईल निकालकर आपको दे दूँगे और वो दोनों 2 लाख रुपये मांग रहे हैं। मेरे सामने ही विक्की से फोन पर बात की जिसकी मेरे अपने फोन से आवाज रिकार्डिंग की हुई है। जे0ई0 से मेरे सामने बात हुई है। अब मे रिश्वत के पैसे नहीं देना चाहता। कृपया करके कानूनी कार्यवाही की जाये। हस्ता0 अग्रेंजी विरेन्द्र कुमार गांव दौलताबाद 9910470004 दिनांक 21.09.16" कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक हाजिर थाना हूँ कि एक लिखित दरखास्त मार्कशुदा DSP साहब विजिलैन्स गुडगांव जिसमें विरेन्द्र कुमार उपरोक्त की दरखास्त जिसमें वह DTPO कार्यालय से नोटिस प्राप्त हुआ था जो दरखास्त के मजबूत से सूरत जुर्म जेर 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा हवाले HC दीपक न0 1011/रेवाडी की जाकर हिदायत दी की मुकदमा दर्ज करवाकर स्पेशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट वा सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे तथा मन निरीक्षक आगामी कार्यवाही हेतु एक रैडिंग पार्टी का गठन किया जिसमें प्रकाश चन्द SI न0 258/H, बंसीधर SI No. 233/H, देवदत्त SI न0 3/4, HC दीपक न0 1011/रेवाडी, HC प्रेम कुमार न0 83/FTB को शामिल किया तथा मन निरीक्षक मय रैडिंग पार्टी मय तफतीशी बेंग के बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR-68-8353 चालक HC रामानन्द के रवाना उपयुक्त कार्यालय गुडगांव का होता हूँ। हस्ता- अग्रेंजी सत्यप्रकाश निरीक्षक रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव दिनांक 21.09.16 समय 4:40 पी0एम0 अज थाना- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गईं। जो सेवा में इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुडगांव व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जाएगी। एक पर्त FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट सेवा में इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुडगांव बदस्त आरिन्दा HC दीपक भेजी जा रही है। मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी HC के हवाले की गईं।

हस्ता अग्रेंजी/- कुलवन्त सिंह
थाना प्रभारी का नाम
नाम : कुलवन्त सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : 55/SR
दिनांक 21.09.16 AT 06.50 PM

